अनुदान संख्या 59 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 59–MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*3,00*	. .	*–3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2120,03,00	2120,06,00	1900,31,20	–219,74,80
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				214,00,25
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		448,01,00	169,93,25	–278,07,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				277,86,11

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और उसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.3.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	5296.00	4953.50	4852.17	–101.33
पु.	R.	–342.50			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2205" कला और संस्कृति	Major Head "2205" Art and Culture					
मू.	O.	715.00		605.39	590.10	–15.29
पु.	R.	–109.61				
मुख्य शीर्ष "2220" सूचना तथा प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity					
मू.	O.	38558.00				
पू.	S.	3.00		40970.36	40517.43	–452.93
पु.	R.	2409.36				
मुख्य शीर्ष "2221" प्रसारण	Major Head "2221" Broadcasting					
मू.	O.	163537.00		144076.50	144071.50	–5.00
पु.	R.	–19460.50				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	3897.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–3897.00				

(I) 4001.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 3700.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "सामान्य (प्रसारण) - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.4001.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.3700.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "General (Broadcasting) – Grants to Prasar Bharati – Prasar Bharati" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - सूचना और प्रसारण मंत्रालय'' के अंतर्गत 297.93 लाख रु. की बचत (4058.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे जाने, विभिन्न इकाइयों में आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2205'' - ''सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणीकरण - केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड'' के अंतर्गत 123.65 लाख रु. की बचत (695.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परीक्षा समिति की बैठकें कम संख्या में आयोजित किए जाने, रिक्त पदों के भरे न जाने और फिल्म प्रभाग द्वारा तदर्थ निदेशकों को फिल्में न सौंपे जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2220'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''फिल्में'' -

(क) ''फिल्मों का निर्माण - फिल्म प्रभाग'' - 173.47 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 4420.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अखबारी कागज के मूल्य और मुद्रण प्रभारों में गिरावट आने, फिल्म प्रभाग द्वारा तदर्थ निदेशक को फिल्में न सौंपे जाने और कच्चे सामान और अन्य सम्बद्ध सामग्री की कम आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता'' - 275.00 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान द्वारा निर्माण कार्यकलापों की धीमी गति होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय -

(क) जनसंचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण - अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग'' - 123.91 लाख रु. की

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat - Ministry of Information and Broadcasting" – saving of Rs.297.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4058.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of modernisation/computerisation work at different units and economy measures.

(III) Under Major Head "2205" – "Certification of Cinematographic Films for Public Exhibition - Central Board of Film Certification" – saving of Rs.123.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.695.00 lakhs) was due to holding of less numbers of Examining Committee meetings, non-filling up of vacant posts and non-assignment of Films to adhoc directors by Film Division.

(IV) Under Major Head "2220" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Films" –

(a) "Production of Films – Films Division" – saving of Rs.173.47 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4420.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2009) was due to non-filling up of vacant posts, decrease in cost of news print and printing charges, non-assignment of films to adhoc director by Film Division, less requirement of raw stock and other allied material and economy measures.

(b) "Other Expenditure – Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata" – saving of Rs.275.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to slow pace of construction activities by the Institute.

(B) "Others" –

(a) "Research and Training in Mass Communication - Research, Reference and

बचत (318.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, अनुसंधान परियोजना सौंपे जाने में में विलम्ब होने और 'राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार' को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ख) ''रोजगार समाचार - रोजगार समाचार सेवा'' - 589.59 लाख रु. की बचत (2864.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, अखबारी कागज के मूल्य और मुद्रण प्रभारों में गिरावट आने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''निगरानी सेवाएं - इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र (पूर्व सीएमएस)'' - 212.07 लाख रु.की बचत (480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र का पूरा प्रभाग स्थापित किए जाने में विलंब होने, ठेके पर कर्मचारियों की कम भर्ती किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2221'' - ''सामान्य - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती'' - 19461.50 लाख रु. की बचत (163533.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) साफ्टवेयर स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने, डीडी काशीर शुरू किए जाने की स्कीम की प्रक्रिया पूरी न होने, मुकदमे और कानून व व्यवस्था की स्थिति खराब होने की वजह से चिन्सुराह के ट्रांसमीटर के लिए हिस्से-पुर्जो की अधिप्राप्ति न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 93.52 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 94 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2365.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2220'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में 3.00 लाख

Training Division" – saving of Rs.123.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.318.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, undertaking of less tours, delay in awarding Research Project and finalisation of 'National Media Awards'.

(b) "Employment News – Employment News Services" – saving of Rs.589.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2864.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, decrease in the cost of news print and printing charges and economy measures.

(c) "Monitoring Services - Electronic Media Monitoring Centre (erstwhile CMS)" – saving of Rs.212.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.480.00 lakhs) was due to non filling up of vacant posts, delay in setting up of whole division of Electronic Media Monitoring Centre, less recruitment of contract staff and economy measures.

(V) Under Major Head "2221" – "General – Grants to Prasar Bharati – Prasar Bharati" – saving of Rs.19461.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.163533.00 lakhs) was due to non-approval of software Scheme, reduction of provision at revised estimates stage, non-completion of process of commissioning scheme of DD-Kashir, non-procurement of spares for transmitter of Chinsurah owing to litigation, bad law and order situation and economy measures.

(VI) Under one head saving of Rs.93.52 lakhs occurred constituting 94 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.2365.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs in December, 2009 and March, 2010

रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''फिल्में - अन्य व्यय''-

(क) ''बाल फिल्म समिति'' - 62.75 लाख रु.।

(ख) ''भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे'' - 693.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 678.75 लाख रु.था।

(खा) ''अन्य''-

(क) ''जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण - भारतीय जन संचार संस्थान'' - 234.75 लाख रु.।

(ख) ''विज्ञापन और दृश्य प्रचार - विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय'' - 1269.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1226.68 लाख रु. था।

(ग) ''पत्र सूचना सेवाएं - अन्य मदें'' - 104.75 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण'' - 134.00 लाख रु. का अधिक व्यय (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक परियोजनाएं शुरू किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2220'' -

(क) ''फिल्में - अन्य व्यय'' -

(i) ''भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार'' - 342.60 लाख रु. का अधिक व्यय (652.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, महाराष्ट्र राज्य में विद्युत

under Major Head "2220" – under the following heads:-

(A) "Films – Other Expenditure" –

(a) "Childrens Film Society" – Rs.62.75 lakhs.

(b) "Film and Television Institute of India, Pune" – Rs.693.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.678.75 lakhs.

(B) "Others" –

(a) "Research and Training in Mass Communication – Indian Institute of Mass Communication" – Rs.234.75 lakhs.

(b) "Advertising and Visual Publicity – Directorate of Advertising and Visual Publicity" – Rs.1269.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1226.68 lakhs.

(c) "Press Information Services – Other Items" – Rs.104.75 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" – "Other Expenditure – Film Production in various regional languages by NFDC" – excess of Rs.134.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to undertaking of more film projects.

(B) Major Head "2220" –

(a) "Films – Other Expenditure" –

(i) "National Film Archive of India" – excess of Rs.342.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.652.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 6th Central Pay

प्रभारों में वृद्धि होने और फिल्मों को डिजीटल और उन्हें पुनर्जीवित किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''फिल्म समारोह निदेशालय'' - 185.97 लाख रु.का अधिक व्यय (1184.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली में सीरी फोर्ट आडिटोरियम का नवीकरण किए जाने, सीरी फोर्ट आडिटोरियम की वार्षिक रख-रखाव लागत में वृद्धि होने और दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य'' -

(i) पत्र सूचना सेवाएं - पत्र सूचना कार्यालय'' - 122.65 लाख रु. का अधिक व्यय (5325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''गीत और नाटक सेवाएं - गीत और नाटक प्रभाग'' - 316.27 लाख रु. का अधिक व्यय (2402.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) ''चित्र सेवाएं - चित्र प्रभाग'' - 183.86 लाख रु. का अधिक व्यय (405.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, क्षेत्र कार्यक्रम अधिक आयोजित किए जाने और बड़ी फार्मेट मुद्रण प्रणाली और उच्च क्षमता के कैमरों की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Commission Report, escalation of electrical charges in Maharashtra State and digitalization and restoration of films.

(ii) "Directorate of Film Festivals" – excess of Rs.185.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1184.00 lakhs) was due to renovation of Siri Fort Auditorium at New Delhi, increase in annual maintenance cost of Siri Fort Auditorium and holding of two National Film Awards functions.

(b) "Others" –

(i) "Press Information Services – Press Information Bureau" – excess of Rs.122.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5325.00 lakhs); and

(ii) "Song and Drama Services – Song and Drama Division" – excess of Rs.316.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2402.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(iii) "Photo Services – Photo Division" – excess of Rs.183.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.405.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 6th Central Pay Commission Report, more field programmes and procurement of large format printing system and high capacity cameras.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4220" सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4220" Capital Outlay on Information and Publicity					
मू.	O.	4113.00		3529.89	3508.25	–21.64
पु.	R.	–583.11				
मुख्य शीर्ष "6221" प्रसारण के लिए कर्ज	Major Head "6221" Loans for Broadcasting					
मू.	O.	35584.00		13485.00	13485.00	. .
पु.	R.	-22099.00				
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas					
मू.	O.	5095.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–5095.00				

(I) 5205.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 5095.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "6552" - "प्रसारण के लिए कर्ज - प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.5205.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.5095.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" – "Loans for Broadcasting - Loans to Prasar Bharati – Prasar Bharati" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4220" - "अन्य - भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4220" –"Others – Buildings" – savings occurred under the following heads:-

(का) "भारतीय जन संचार संस्थान की भवन और आवास परियोजना" - 182.50 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जन संचार संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने

(A) "Building and Housing Project of Indian Institute of Mass Communication" – saving of Rs.182.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of

के लिए व्यय वित्त समिति का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "निजी एफएम रेडियो केन्द्रों के लिए भवन और टावर'' - 211.11 लाख रु. की बचत (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता में टावर के स्थान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "6221'' - "प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती'' के अंतर्गत 22099.00 लाख रु. की बचत (35584.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और मुकदमा चलने और कानून व व्यवस्था की स्थिति खराब होने की वजह से चालू स्कीमों की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

administrative approval from Expenditure Finance Committee for conversion of Indian Institute of Mass Communication into International Media University.

(B) "Building and Towers for Private FM Radio Stations" – saving of Rs.211.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to non-finalisation of site for tower at Kolkata.

(III) Under Major Head "6221" – "Loans to Prasar Bharati – Prasar Bharati" – saving of Rs.22099.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35584.00 lakhs) was due to non-approval of some of the new Schemes and slow progress of ongoing Schemes owing to litigation of cases and adverse law and order situation.

(IV) Under one head saving of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.